[18/3/2020]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
प्रश्न सं. [क्र. 568]

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 15/07/2019

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **23/07/2019** विभाग का नाम : **सामान्य प्रशासन**

विषय : **वेबसाइटों का संधारण और योजनाओं का मूल्यांकन।**

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 3532) **रिक्त**

क्या **सामान्य प्रशासन मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या योजनाओं/कार्यक्रमों का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन कराये जाने के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 04/02/2016 को आदेश पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो विभाग का पत्र क्या है और पत्रानुसार क्या-क्या कार्यवाही की जानी थी ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत पन्ना जिले में उपरोक्त निर्देश कब प्राप्त हुये और इन निर्देशों पर कब-कब एवं क्या -क्या कार्यवाही की गई ? (ग)क्या पन्ना जिले के समस्त शासकीय विभागों में इन निर्देशों के पालन में विभागीय कार्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन कराया गया, तथा इसके क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुये और निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन को कब-कब, क्या अवगत कराया गया ? विभागवार बतायें। (घ.) प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में पन्ना जिले में बाह्य मूल्यांकन कार्य न होने के क्या कारण रहे ? क्या विभागीय निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन के जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जावेगी ? यदि हाँ तो क्या एवं कब तक यदि नहीं तो क्यों?

Reply By : GAD | Digitally Sign Date : **20/02/2020 03:04:57** | Status: **Final**

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह : (क) जी हॉ । परिपत्र परिशिष्ट "अ" अनुसार । (ख) उक्त निर्देश जिला कलेक्टरर्स को पृष्ठांकित नहीं किये गये है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश "ख" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ) उत्तरांश "ख" एवं "ग" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता ।

Attachment :
Vidhan3532.pdf View File

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट - "31"

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 11–03/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 4/2/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषय:– विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो के बाहरी मूल्यांकन हेतु व्यवस्था किये जाने बाबत ।

जन संकल्प 2013 के अंतर्गत बिन्दु क्रमांक 1.9 अनुसार सभी विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो के बाहरी मूल्यांकन हेतु व्यवस्था की जाना है । माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के द्वारा समीक्षा बैठक दिनांक 19.09.2015 के दौरान भी विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन कराये जाने के निर्देश दिये गए है ।

2/– अतः सभी विभाग, उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का तृतीय पक्ष (बाह्य) मूल्यांकन कराने की व्यवस्था करें, ताकि विभागों में प्रचलित कार्यो, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की कमियों को दूर कर, इनके उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो सके । समय–समय पर किए गए बाह्य मूल्यांकन की रिपोर्ट से सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत भी कराया जाए ।

(एम0 के0 वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 11–03/2016/1/9 भोपाल, दिनांक 4/2/16

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राज भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्रीजी कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. समस्त मान0 मंत्री/राज्यमंत्री के विशेष सहायक/निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
6. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल/व्यवसायिक परीक्षा मण्डल म0प्र0, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।

Joshiji for uploading please 05/02/16

निरंतर......2/–

9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0 प्र0 भोपाल ।
12. सचिव, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल भोपाल ।
13. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
14. महालेखाकार, ग्वालियर/भोपाल।
15. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के स्टाफ आफिसर ।
16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल ।
17. अवर सचिव, म0 प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग (अभीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय) मंत्रालय भोपाल ।
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष 7 (1), मंत्रालय भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

08/02/16

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग